न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 36/2025
दायरी दिनांक 03.04.2025

1. रामप्रताप पुत्र सोहनलाल

2 बिहारीलाल पुत्र सोहनलाल

3. झिमकोरी पत्नी स्व. रामस्वरूप

4. महेन्द्र सिंह पूनियां पुत्र स्व. रामस्वरूप

5. अनिल कुमार पुत्र रामस्वरूप

6. सुधीर पुत्र रामस्वरूप

जाति समस्त जाट निवासीगण ग्राम नुआं तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

आवेदकगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)– अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 22.05.2025

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण संख्या 1 व 2 तथा आवेदकगण संख्या 3 से 6 के पति/पिता की सहखातेदारी की जमीन हाल खसरा नं. 594, 645, 646, 655, 657, 658, 659, 660, 663, 663/675 कुल किता 10 कुल रकबा 13.08 हेक्टर सरहद राजस्व ग्राम नुआं तहसील पटवार हल्का नुआं तहत तहसील मण्डावा में स्थित है।

यह कि आवेदकगण के शिक्षा से संबंधित दस्तावेजात में तथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि सभी दस्तावेजातों में आवेदकगण के पिता का नाम सोहनलाल है लेकिन प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित जमीन की खातेदारी में आवेदक संख्या 1 व 2 तथा रामस्वरूप के पिता का नाम श्योनारायण सहवन से दर्ज हो गया जबकि दस्तावेजात के मुताबिक सही रूप से सोहनलाल दर्ज होना चाहिये थे।

यह कि आवेदक संख्या 1 व 2 तथा रामस्वरूप की माता भगवानी का देहान्त हो चूका है। उक्त जमीन के राजस्व रिकार्ड में भगवानी पत्नी श्योनारायण दर्ज है। स्वर्गीय भगवानी के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेजो में भगवानी पत्नी सोहनलाल दर्ज है। उक्त राजस्व रिकार्ड में भगवानी पत्नी श्योनारायण की जगह भगवानी पत्नी सोहनलाल दर्ज किया जाना उचित व न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

यह कि आवेदकगण किसान व्यक्ति हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित जमीन के राजस्व रिकार्ड में आवेदक संख्या 1 व 2 तथा रामस्वरूप के पिताजी का नाम श्योनारायण दर्ज रहने से आवेदकगण किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते है तथा ना ही किसी बैंक से ऋण ले सकते है। उपरोक्त कारण से आवेदक संख्या 1 व रामस्वरूप के पिता का नाम उक्त जमीन के राजस्व रिकार्ड में श्योनारायण की जगह सोहनलाल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।इस प्रार्थना पत्र को सुनने का हक माननीय न्यायालय को है।अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमीन हाल खसरा नं. 594, 645, 646, 655, 657, 658, 659, 660. 663, 663/675 कुल किता 10 कुल रकबा 13.08 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम नुआं तहसील पटवार हल्का नुआं तहत तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू क राजस्व रिकार्ड में आवेदक संख्या 1 व रामस्वरूप के पिता व आवेदक संख्या की माता भगवानी देवी के पति का नाम श्योनारायण की जगह सोहनला दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये। तहसीलदार मण्डावा द्वारा रिपोर्ट पेश की ग्राम नूआ के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता नः 225 में प्रार्थीगण का के पिता व पति नाम श्योनारायण दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थीगण का के पिता व पति नाम श्योनारायण के स्थान पर सोहनलाल किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। वाके ग्राम नूआं के राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 228 में प्रार्थी का नाम किशोर कुमार पुत्र रमेश कुमार दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजात एवं तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम किशोर कमार पुत्र रामेश्वर लाल है। अतः तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित होता है।

निर्णय

अतः ग्राम नूआं के खाता संख्या 228 में दर्ज प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम श्योनारायण के स्थान पर सोहनलाल कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते है।पालनार्थ तहरीर तहसीलदार मण्डावा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा